कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून** के माह अप्रैल 2013 से अप्रैल 2016 तक के अवधि की लेखा अभिलेखों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 13 के अधीन सर्व श्री विभाष चंद्र मुखर्जी, एवं प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियो द्वारा 20-05-2016 से 01-06-2016 तक श्री जे॰ एम॰ एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

यह निरीक्षण आख्या **जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-एक

(1) परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए॰ के॰ जैन, श्री एस॰ एस॰ दरियाल, एवं श्री राघवेंद्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27-05-2013 से 30-05-2013 तक श्री दिनेश रमोला लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान में माह अप्रैल 2013 से अप्रैल 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा-

1- श्री अमर सिंह, जिला उद्यान अधिकारी (17-04-2012 से 22-08-2014)
2- श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जिला उद्यान अधिकारी (23-08-2014 से वर्तमान तक)

(2) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	07/2013- 14	-	1, 2
2.			

(3) सतत् अनियमित्तायेे शून्य।

(4) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य।

5 बजटः

1- राज्य सैक्टर और जिला सैक्टर

(धनराशि लाख में)

वर्ष	आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय
2013-14	85.10	85.10
2014-15	170.68	170.68
2015-16	135.60	135.60

कुल योग	**391.38**	**391.38**

2- एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰/एम॰आई॰डी॰एच॰

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	705.55	727.77
2014-15	314.29	224.115
2015-16	442.68	657.88
कुल योग	**1462.52**	**1609.765** [1]

3- राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एन॰एम॰एम॰आई॰)

(धनराशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	74.32	74.32
2014-15	108.01	108.01
2015-16	190.37	190.37
कुल योग	**372.71**	**372.71**

4- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई)

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	6.00	23.97
2014-15	57.18	58.61
2015-16	18.16	15.60
कुल योग	**81.34**	**98.18**[2]

5- नेशनल वेजीटेबल इन्सेंटिव (NVI)

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	222.76	333.89
2014-15	51.27	79.33

[1] आवंटन से अधिक व्यय विगत वर्षो के अवशेष धनराशि से किया गया है।
[2] आवंटन से अधिक व्यय विगत वर्षो के अवशेष धनराशि से किया गया है।

2015-16	20.00	19.99
कुल योग	**294.03**	**433.21**[3]

6- आत्मा (ATMA)

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	3.92	1.32
2014-15	0	2.59
2015-16	0.30	0
कुल योग	**4.22**	**3.91**

[3] आवंटन से अधिक व्यय विगत वर्षो के अवशेष धनराशि से किया गया है।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 :- बागवानी मिशन (एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰) की विषयक लेखा परीक्षा (Thematic Audit) के अंतर्गत (2013-14 से 2015-16) लेखा परीक्षा प्रेक्षण/ पायी गयी अनियमितता/ अनियमित वित्तीय सहायता।

1- **<u>क्षेत्रफल विस्तार (नए बगीचे की स्थापना)</u>**

HMNEH/MIDH के अंतर्गत नए बगीचे की स्थापना के लिए मिशन गाइडलाईन में, लाभार्थियों को केवल planting material एवं Integrated Nutrient Management (INM) एवं Integrated Pest Management (IPM) उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

जिला उद्यान अधिकारी (जि. उ. अ.) देहरादून के अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि जि. उ. अ. द्वारा "फल" क्षेत्रफल विस्तार के लाभार्थियों को सिंचाई कार्य हेतु `41.22 लाख का कैनवस/पी वी सी पाइप प्रदान किया गया, जोकि HMNEH/MIDH के दिशानिर्देश के विपरीत है क्योंकि कैनवस/पी वी सी पाइप, न तो planting material मे आता है और न ही INM/IPM में, साथ ही साथ यह भी पाया गया कि उपरोक्त सहायता प्रदान करने के लिए जि. उ. अ. द्वारा जिन दो फ़र्मों[4] को, जिनसे लाभार्थियों द्वारा कैनवस/पी वी सी पाइप क्रय किया गया था, ` 41.22 लाख का भुगतान किया गया, उसमे `1.96 लाख VAT भी शामिल था (क्योंकि फ़र्मों द्वारा सामग्रियों के मूल्य पर 5 *प्रतिशत* VAT चार्ज किया गया था) एवं उन फ़र्मों का लेनदेन की तिथि पर commercial tax department मे कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं था अर्थात उन फ़र्मों द्वारा VAT की राशि `1.96 लाख जमा नहीं किया गया, जिससे `1.96 लाख का शासकीय हानि हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जि. उ. अ. द्वारा कैनवस पाइप के संबंध में उत्तर दिया गया कि लाभार्थियों के माँग पर कैनवस/पी वी सी पाइप प्रदान किया गया तथा VAT के संबंध में कहा गया कि फ़र्मों को VAT जमा करने हेतु पत्र लिखा जाएगा। जि. उ. अ. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि HMNEH/MIDH के दिशानिर्देश में प्रविधानित मानक के अनुसार ही समग्रियों का वितरण करना था एवं जि. उ. अ. द्वारा फ़र्मों के रजिस्ट्रेशन की वैधता की जाँच नहीं की गई।

2-**संरक्षित खेती:**

विभागीय प्रावधानों के अनुसार पॉली हाउस के निर्माण के समय कृषक, फ़र्म, एवं विभाग के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार किया जाना था जिससे विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि फ़र्म द्वारा (i) पॉली हाउस के निर्माण से लेकर एक वर्ष तक -(मुफ्त मरम्मत की वारंटी एवं) (ii) कृषको को परिचालन, मरम्मत एवं पैदावार का तकनीकी ज्ञान प्रदान करने किया जाए। पॉली हाउस के निर्माण पर लागत मूल्य[5] की 50% आर्थिक सहायता मात्र उन कृषको को प्रदान किया जाना था जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। जिला उद्यान अधिकारी देहरादून के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच मई (2016) में पाया गया कि,

- पॉली हाउस के निर्माण में त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था। उक्त का अनुपालन न किए जाने के कारण विभाग द्वारा पॉली हाउस के निर्माण एवं संचालन को प्रभावी ढंग से लागू करने मे असमर्थ रहें साथ ही शासकीय कार्यो मे पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव रहा।
- निदेशक, बागवानी मिशन के द्वारा National Committee on Plasticulture applications in Agriculture and Horticulture (NCPAH) के तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप पॉली हाउस का निर्माण करने हेतु 14 फार्मो को पंजीकृत (जनवरी 2015) किया गया। जांच मे पाया कि प्रावधानों के विरुद्ध वर्ष 2015-16 मे कुल 12 कृषको के द्वारा अपंजीकृत फ़र्मों से पॉली हाउस के निर्माण के बावजूद भी कुल ` 35.68 लाख की आर्थिक

---

[4] साईं इंटरप्राइजेस (TIN 05000960640) एवं कोणार्क एसोसिएट्स (TIN 05000902998)

[5] (a) Up to ` 1060/Sqm (for Area up to 500/Sqm), (b) ` 935/sqm (for area from 501 to 1008 Sqm), (c) ` 890 (for Area from 1009 to 2080 Sqm) and (d) ` 844/sqm (for area from 2081 to 4000/Sqm) since 2014-15 prior to it was ` 935 per sqm.

सहायता प्रदान की गयी। किसी भी पॉली हाउस के निर्माण के समय न तो विभाग के द्वारा और न ही फ़र्म द्वारा पॉली हाउस हेतु निर्धारित गुणवत्ता मानको की जांच की गयी।

- अभिलेखो की जांच मे पाया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा विभागीय प्रावधानों के विरुद्ध 8 कृषको को कृषि भूमि पर स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना ही पॉली हाउस पर कुल ` 22.63 लाख की राज सहायता प्रदान की गयी।

  विभाग द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया, निदेशक बागवानी मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित प्रकरणो मे कार्यवाही की जाएगी।

- अभिलेखो की जांच मे पाया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 7 कृषको द्वारा विभिन्न फ़र्मों के ` 33.43 लाख के बिल के आधार पर ` 16.46 लाख की सहायता प्रदान की गयी जबकि कृषक द्वारा वास्तविक रूप से फ़र्मों को भुगतान करने की रसीद संलग्न नहीं की गयी थी, जिससे लेखा परीक्षा मे कृषको द्वारा फ़र्मों को किया गया वास्तविक भुगतान का सत्यापन नही किया जा सका।

पॉली हाउस के अंदर पुष्प एवं सब्जी उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता

HMNEH/MIDH scheme एवं निदेशक, बागवानी मिशन के दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे लाभार्थी जो HMNEH scheme के अंतर्गत पॉली हाउस का निर्माण कराया हो, को केवल एक बार, पॉली हाउस के अंदर पुष्प एवं सब्जी उत्पादन के लिए planting material एवं cultivation कार्य हेतु व्यय किए गए धनराशि का 50 *प्रतिशत* राशि, वित्तीय सहायता के रूप मे प्रदान किया जाना था।

(i) जिला उद्यान अधिकारी देहरादून (जि उ अ) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जि. उ. अ. द्वारा तीन लाभार्थियों को, पॉली हाउस के अंदर पुष्प एवं सब्जी उत्पादन के लिए planting material एवं cultivation कार्य हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ` 11.21 लाख के बिलों के सापेक्ष 100 *प्रतिशत* की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी जबकि निर्धारित मानक के अनुसार 50*प्रतिशत* राशि वित्तीय सहायता के रूप मे प्रदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए `11.21 लाख के बिलों में ` 3.51 लाख मूल्य के एसे बिल भी शामिल थे जो कि लाभार्थियों के नाम पर नहीं थे। निर्देशों के प्राविधान का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार दिशा ` 7.36[6] लाख की अनियमित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि जि. उ. अ. द्वारा एक लाभार्थी को लिलियम पुष्प कि खेती हेतु निर्धारित मानक 426 प्रति वर्ग मी0 के स्थान पर 700 प्रति वर्ग मी0 की दर से भुगतान कर 2.06 लाख का अनियमित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(iii) लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जि. उ. अ. द्वारा, दो लाभार्थियों को पॉली हाउस के अंदर पुष्प एवं सब्जी उत्पादन के लिए planting material एवं cultivation कार्य हेतु द्वितीय बार सहायता प्रदान करते हुये 5.08 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान की गई जबकि दिशानिर्देशो के प्रविधान के अनुसार लाभार्थियों को, पुष्प एवं सब्जी उत्पादन के लिए planting material एवं cultivation कार्य हेतु केवल एक बार वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जि. उ. अ. द्वारा तृतीय बिन्दु को स्वीकार करते हुये प्रथम एवं द्वितीय बिन्दु पर उत्तर दिया गया कि, प्रभारी की संस्तुति पर बिलों का भुगतान किया गया एवं निदेशक बागवानी मिशन से स्वीकृत rate of assistance के अनुसार भुगतान किया गया। जि. उ. अ. द्वारा प्रथम बिन्दु के सापेक्ष दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रविधान के अनुसार लाभार्थियों को केवल 50 *प्रतिशत* राशि, वित्तीय सहायता के रूप मे प्रदान की जानी थी एवं द्वितीय बिन्दु के सापेक्ष निदेशक बागवानी मिशन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये इसे टंकण त्रुटि का कारण बताया गया।

---

[6] ` 7.36 लाख = ` 11.21 लाख - ` 3.85 लाख, ` 3.85 लाख = {50% of (` 11.21-`3.51लाख) }

3– **बागवानी में यान्त्रिकी एवं जलस्रोतों का सृजन:**

विभागीय प्रावधानों के अनुसार बागवानी मिशन के अंतर्गत ट्रैक्टर के क्रय/ट्यूब-वेल के निर्माण पर राजसहायता (Financial Assistance) प्राप्त किए जाने हेतु लाभार्थी के पास न्यूनतम 1.00 हेक्टयर कृषि भूमि होनी चाहिए (साक्ष्य हेतु आवेदन के साथ उद्धरण खतौनी संलग्न किया जाना चाहिए)। राजसहायता का भुगतान क्रय से संबन्धित साक्ष्य (बिल), क्रय किए गए यंत्र का फोटो/ ट्यूब-वेल का फोटो कृषक की फोटो सहित एवं विभागीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत ही बिल का भुगतान किया जाना था। जिला उद्यान अधिकारी देहरादून मे यान्त्रिकी/ ट्यूब-वेल के निर्माण के अंतर्गत राजसहायता (Financial Assistance) से संबन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) में निम्न तथ्य प्रकाश मे आए।

I. MIDH के Operational Guideline के मानको[7] के विरुद्ध तीन कृषको को ट्रैक्टर की खरीद पर लागत के 35% के स्थान अधिकतम सीमा ` 1.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इस प्रकार उक्त कृषको को लाभार्थियों को कुल ` 56300.00 की अधिक राजसहायता प्रदान की गयी। इसी प्रकार विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान कुल 11 कृषको को पावर टिलर **(Taxas Rotatory Power Tiller Model Pro Tac 950D)** के क्रय पर ` 60000.00 (2014-15) तथा / ` 75000.00 (2015-16) की राजसहायता प्रदान की गयी थी। निदेशालय द्वारा जारी पत्र 945/फ़र्म पंजीकरण/2015-16 दिनांक 04-08-2015 के अनुसार उक्त मोडल का पावर टिलर की क्षमता मात्र 4.73 HP है। 8.00 HP से कम पावर हेतु हेतु 50000.00 की ही सहायता अनुमन्य हैं। अतः उच्च श्रेणी (> 8 HP) के मशीन हेतु अनुमन्य राजसहायता का भुगतान निम्न श्रेणी (< 8 HP) की मशीन हेतु किए जाने के कारण 11 लाभार्थियो को ` 215000/- का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया।
लेखा परीक्षा के द्वारा के द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित प्रकरणो की जांच कर अधिक भुगतान के वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार यान्त्रिकी के अंतर्गत मानको से अधिक कुल ` 2.71 लाख ***(संलग्नक-II)*** राजसहायता प्रदान किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता हैं।

II. लेखा परीक्षा जांच मे यह भी पाया कि, श्री संत राम S/o श्री केदारु निवाशी पुटराण त्युनी को पावर टिलर/alligator के क्रय पर ` 60000 के सहायता प्रदान की गयी है और श्री सुरेन्द्र सिंह S/o श्री नाथु राम निवाशी चुमरा त्युनी को पावर टिलर के क्रय पर ` 75000 के सहायता प्रदान की गयी है। उक्त दोनों लाभार्थियो के भुगतान से संबन्धित देयकों मे क्रय किए गए उपकरण की फोटो ग्राफ (उपकरण के साथ लाभार्थी की फोटो) प्रत्येक दृष्टिकोण से एक जैसी है (दोनों ही फोटो मे पहनावा/कपड़े का रंग/व्यक्ति के खड़े होने का ढंग एवं व्यक्ति की परछाई, मशीन एवं अन्य सामाग्री सिवाय चेहरे के)। उक्त के अवलोकन से प्रतीत होता है एक फोटो मे कम्प्युटर से चेहरा Superimpose कर दूसरे लाभार्थी की फोटो बनाई गई है। अर्थात दोनों लाभार्थियो/एक लाभार्थी को एक ही टिलर की फोटो संलग्न कर पृथक-पृथक राजसहायता का अनियमित भुगतान प्राप्त किया गया हैं।
लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित प्रकरणो की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

III. श्री प्रेम चंद शर्मा द्वारा बागवानी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2013-14 मे फल पौधो मे कीटनाशक छिड़काव हेतु Power Sprayer हेतु आवेदन के सापेक्ष विभाग द्वारा क्रय की स्वीकृति (02/2016) प्रदान की गयी। स्वीकृति के अनुरूप कृषक मात्र Power Sprayer के क्रय की subsidy के लिए योग्य था, कृषक के द्वारा Power Sprayer के स्थान पर Pumping Set (` **25000.00 ;** दिनांक **02/02/2014**) और Spray Pump (` **8700.00;** दिनांक **02/02/2014**) पृथक-पृथक क्रय उक्त दोनों यंत्रो पर राज-सहायता (Subsidy) प्राप्त किया गया। । विभाग द्वारा Pumping Set के क्रय पर भी राज-सहायता ` 12500.00 का भुगतान (03/2014) भी कर दिया गया। उपरोक्त

---

[7] **For Tractor**- Assistance of ` 1.00 lakh (maximum limit) had been paid against the admissible amount of 35% of cost or ` 1.00 lakh whichever is less. For **Power tiller** – Against the norm of ` 50,000 for power tiller below 8 BHP, assistance amounting to ` 60000 to ` 75000 was paid to the beneficiaries for purchase of tiller below 8.00 BHP.

के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि, इसी कृषक को वर्ष 2012-13 की योजना के सापेक्ष 04/2013 मे Pump Set के लिए ` 36855.00 के क्रय के सापेक्ष ` 17500.00 की राज सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार एक ही कृषक को एक ही यंत्र के लिए दो बार राज सहायता प्रदान की गयी। अतः कृषक को ` 12500.00 का अनियमित राज सहायता का भुगतान किया गया। इसी प्रकार श्री एन॰ डी॰ पँवार को Self Propelled Horticulture Machinery के अंतर्गत पावर स्प्रेयर हेतु ` 17500.00 की राज सहायता प्रदान की गयी है। उनके द्वारा Power Sprayer के देयक प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त के सत्यापन हेतु जो फोटो संलग्न की गयी है वह Honda Power Generator की है । किसी विभागीय कर्मचारी द्वारा उक्त फोटो पर टिप्पणी भी अंकित की गयी है "Not power sprayer but Generator" उक्त के बावजूद भी विभाग द्वारा ` 17500.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित प्रकरणो की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

IV. मिशन के अंतर्गत तीन[8] कृषको को पावर स्प्रेयर/पावर सॉ हेतु कुल ` 51200 की राज सहायता प्रदान की गयी जबकि देयक मे संलग्न खतौनी मे लाभार्थी का नाम ही अंकित नहीं है अर्थात जबकि लाभार्थी के स्वामित्व मे कृषि भूमि है ही नहीं। इस प्रकार अपात्र कृषको को राज सहायता प्रदान की गयी।

V. अभिलेखो की जांच मे पाया कि विभाग द्वारा विभागीय प्रावधानों के विरुद्ध 6 कृषको ***(संलग्नक- III)*** के पास न्यूनतम 1.0 हेक्टेयर भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही ट्रैक्टर के क्रय पर कुल 8.00 लाख की राज सहायता प्रदान की गयी।

VI. अभिलेखो की जांच मे पाया कि विभाग द्वारा विभागीय प्रावधानों के विरुद्ध 7 कृषको ***(संलग्नक-IV)*** के पास न्यूनतम 1.0 हेक्टेयर भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही ट्यूब-वेल के निर्माण पर कुल 6.09 लाख की राज सहायता प्रदान की गयी।

उक्त तीनों बिन्दुओ के संबंध मे विभाग द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया, निदेशक बागवानी मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित प्रकरणो मे कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नक (क)

Financial assistance without ensuring availability of land

Sl. No.	Name of Beneficiary	Resident	Assistance provided	Audit Observation
1	Sh Vijay Singh	Haripur	150000	Ownership/availability of only 0.64 Hectare agricultural land
2	Sh Shyam Lal	Ajabpur	150000	Ownership/availability of only 0.6476 Hectare agricultural land
3	Sh Shamshad	Shankarpur	150000	Ownership/availability of only 0.142 Hectare agricultural land
4	Sh Rajendra Uniyaal	Mothrowala	150000	Ownership/availability of only 0.694Hectare agricultural land
5	Sh Manoj Kumar Payaal	Kheri	100000	Ownership/availability of only 0.622 Hectare agricultural land
6	Sh Karam Singh	Dharmawala	100000	Ownership/availability of only 0.162 Hectare agricultural land

[8] श्री भीम सिंह (` 17500.00), श्रीमती कुमार ( ` 17500) श्री कुश एरन (` 16200)

Total	**800000**	

<u>संलग्नक (ख)</u>

Financial assistance without ensuring availability of land

Sl. No.	Name of Beneficiary	Assistance provided (`)	Audit Observation
1	A K jaiswal	103000	Availability of only 0.224Hectare agricultural land
2	Naval pant	103000	Availability of only 0.07Hectare agricultural land
3	Manish Saini	103000	Availability of only 0.283Hectare agricultural land
4	Mohan singh	75000	Availability of only 0.02Hectare agricultural land
5	Chandan singh	75000	Availability of only 0.14Hectare agricultural land
6	Om Prakash	75000	Availability of only 0.0474Hectare agricultural land
7	Hiresha	75000	Availability of only 0.466 Hectare agricultural land
Total (11 Beneficiaries)		**609000**	

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-2 : अनियमित भुगतान 3.02 लाख।

बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत Protected Cultivation के घटक Plastic Mulching Sheet हेतु भी आर्थिक सहायता (50 *per cent* of cost up to ` 32000 per Hectare) प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार औधानिक उपकरण के क्रय पर भी 50 % आर्थिक सहायता का प्रावधान हैं। कृषको को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु विभाग के द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अंतर्गत, कृषक के द्वारा Plastic Mulching Sheet/Equipment क्रय कर, क्रय की रसीद विभाग मे प्रस्तुत किए जाने के साथ इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि उसके द्वारा 50% धनराशि का भुगतान संबन्धित फ़र्म को कर दिया गया है अवशेष 50% का भुगतान विभाग के द्वारा किया जाए। विभाग द्वारा संबन्धित फ़र्म को 50% का भुगतान कर दिया जाता है।

कार्यालय के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) में पाया कि, 5 कृषको के द्वारा **M/S SAI ENTERPRISES Dehradun** (TIN No-05000960640) से Plastic Mulching Sheet क्रय कर संबन्धित क्रय रसीदे (` 3.20 लाख) विभाग मे प्रस्तुत की गयी इसी प्रकार 11 कृषको के द्वारा **M/S KONARK ASSOCIATES** (TIN No-05000902998) से Plastic Mulching Sheet क्रय कर संबन्धित क्रय रसीदे ( ` 3.20 लाख) विभाग मे प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा प्रत्येक फ़र्म को 50% (` 1.60 लाख) किया जाना चाहिए अर्थात **M/S SAI ENTERPRISES Dehradun** (` 1.60 लाख) और **M/S KONARK ASSOCIATES** (` 1.60 लाख ) को पृथक-पृथक भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु विभाग द्वारा दोनों फ़र्मों को पृथक–पृथक भुगतान न M/S SAI ENTERPRISES के पक्ष मे चेक संख्या 05653 (` 1.60लाख), 05654 (` 1.60लाख) दिनांक 29-05-2015 के द्वारा कुल ` 3.20 लाख का भुगतान किया गया।

इसी प्रकार बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत Horticulture Mechanization के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि, 5 कृषको के द्वारा **M/S AFILL CHEMICALS (INDIA) Hapur UP** से Horticulture Equipment क्रय कर संबन्धित फ़र्म की क्रय रसीदे तथा फ़र्म को कृषक अंश जमा किए जाने संबंधी रसीदे विभाग मे प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा सभी कृषको की आर्थिक सहायता ` 141500 का भुगतान **M/S AFILL CHEMICALS (INDIA) Hapur UP** किया जाना था। लेखा परीक्षा जांच में पाया कि विभाग द्वारा **M/S AFILL CHEMICALS (INDIA) Hapur UP** से 5 कृषको के द्वारा Horticulture Equipment क्रय पर संबन्धित फ़र्म को देय सहायता का भुगतान किया ही नहीं गया। उक्त का भुगतान **M/S IRIS WELFARE FOUNDATION DEHRADUN** के पक्ष मे किया गया। इस धनराशि ` 1.42 लाख को M/S IRIS WELFARE FOUNDATION DEHRADUN के अन्य देयको के साथ समाहित कर भुगतान देयक/बिल संख्या 10/10-08-2015 के द्वारा चेक संख्या 05766 दिनांक 11-08-2015 के द्वारा ` 497500.00 का भुगतान किया गया।

इस प्रकार **M/S KONARK ASSOCIATES एवं M/S AFILL CHEMICALS (INDIA) Hapur UP** के देयकों पर **क्रमशः M/S SAI ENTERPRISES** तथा **M/S IRIS WELFARE FOUNDATION DEHRADUN** के पक्ष मे क्रमशः ` 1.60 लाख तथा ` 1.42 लाख का भुगतान किया जाना अनियमित तथा संदिग्ध है।

लेखा परीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित फ़र्मों को आपसी समायोजन हेतु निर्देशित किया जाएगा।

Eco. (WAD) AIR No. 36/16-17

संलग्नक

Financial assistance without ensuring availability of land

Sl. No.	Name of Beneficiary	Resident	Assistance provided	Audit Observation
1	Sh Vijay Singh	Haripur	150000	Ownership/availability of only 0.64 Hectare agricultural land
2	Sh Shyam Lal	Ajabpur	150000	Ownership/availability of only 0.6476 Hectare agricultural land
3	Sh Shamshad	Shankarpur	150000	Ownership/availability of only 0.142 Hectare agricultural land
4	Sh Rajendra Uniyaal	Mothrowala	150000	Ownership/availability of only 0.694Hectare agricultural land
5	Sh Manoj Kumar Payaal	Kheri	100000	Ownership/availability of only 0.622 Hectare agricultural land
6	Sh Karam Singh	Dharmawala	100000	Ownership/availability of only 0.162 Hectare agricultural land
Total			**800000**	

Financial assistance without ensuring availability of land

Sl. No.	Name of Beneficiary	Assistance provided (`)	Audit Observation
1	A K jaiswal	103000	Availability of only 0.224Hectare agricultural land
2	Naval pant	103000	Availability of only 0.07Hectare agricultural land
3	Manish Saini	103000	Availability of only 0.283Hectare agricultural land
4	Mohan singh	75000	Availability of only 0.02Hectare agricultural land
5	Chandan singh	75000	Availability of only 0.14Hectare agricultural land
6	Om Prakash	75000	Availability of only 0.0474Hectare agricultural land
7	Hiresha	75000	Availability of only 0.466 Hectare agricultural land
Total (11 Beneficiaries)		**609000**	

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून** को इस आशय के साथ प्रेषित कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर सीधे उपमहालेखाकार (आर्थिक अनुभाग-II) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को प्रेषित को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक-II